बिहार सरकार
जिला अभियंता का कार्यालय, जिला परिषद, बेगूसराय।
E-mail Id – zilaparishadbegusarai@gmail.com
(केवल ई–निविदा पद्धति के अनुसार वेबसाईट (www.eproc2.bihar.gov.in) पर
निविदा आमंत्रण सूचना संख्या – 02/2023-2024

1. कार्य का विवरण :–

ग्रुप संख्या	प्रखंड का नाम	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	अग्रधन की राशि (रूपये में) (Through online or Manual mode Payment)	परिमाण विपत्र का मूल्य अप्रत्यर्पणीय (रू0 में) (Through online Payment)	बेल्ट्रॉन को देय Bid Processing Fee (Through online Payment) अप्रत्यर्पणीय (रुपय में)	कार्य समाप्ति की अवधि	अभ्युक्ति
01	बेगूसराय सदर	जिला पंचायत संसांधन केंद्र (DPRC) बेगूसराय के भवन का निर्माण कार्य। (SBD के अंतर्गत)	518.77	1038000	10,000	As per Website	15 माह	

2. विज्ञापनदाता का नाम :– जिला अभियंता, जिला परिषद, बेगूसराय।

3. विज्ञापन निर्गत करने की तिथि :– 20.04.2023

4. परिमाण विपत्र प्राप्त/निविदा कागजात डाउनलोड करने की अवधि :– 16.05.2023 से 23.05.2023 के अपराह्न 5:00 बजे तक। (सिर्फ बेवसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर)

5. प्री–बीड मीटिंग का स्थान, तिथि एवं समय :– जिला अभियंता, जिला परिषद,बेगूसराय के कार्यालय में दिनांक– 22.05.2023 के अपराह्न 12:30 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक।

6. संवेदक द्वारा निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय :– दिनांक 24.05.2023 के अपराह्न 5:00 बजे तक। (सिर्फ बेवसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर)

7. अग्रधन राशि/परिमान विपत्र के मूल्य का ऑनलाईन चलान मूल में तथा शपथ पत्र इत्यादि कागजात कार्यालय में जमा करने का अंतिम तिथि एवं समय :– दिनांक – 26.05.2023, के अपराह्न 3.00 बजें तक।

8. तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय :– दिनांक – 27.05.2023, के अपराह्न 3.00 बजें।

9. वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय :– तकनीकी बिड निष्पादन के पश्चात।

10. निविदा की वैधता की अवधि :– 120 दिन।

11. कोई भी संवेदक जो केन्द्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रों में समुचित श्रेणी में निबंधित हो अथवा अंतराष्ट्रीय स्तर की हो निविदा में भाग ले सकते है, परन्तु इस राज्य में भवन निर्माण विभाग का रजिस्ट्रेशन कराना उक्त कार्य का लेटर ऑफ एक्सेप्टेन्स प्राप्त होने के बाद एवं एकरारनामा के पूर्व अनिवार्य होगा।

12. निविदा केवल ई–निविदा पद्धति के अनुसार बेवसाईट (www.eproc2.bihar.gov.in) पर निष्पादित किया जाएगा। ई–मेल से संबंधित जानकारी सहायता हेतु eproc2support@bihar.gov.in एवं Toll Free no.-18005726571, तथा EProc 2.0 Help Desk Address - mjuction services limited RJ complex, 2ndFloor, Canra Bank Campus, Khajpkura, Ashiana Road, P.S.& Shastri Ngar Patna 800014, Bihar से प्राप्त किया जा सकता है।

13. विस्तृत जानकारी हेतु state.bihar.gov.in/prdbihar पर देखी जा सकती है।

14. ई–निविदा में भाग लेने के इच्छुक संवेदकों को ई–प्रोक्योरमेंट के साथ निबंधन कराना होगा। बेवसाईट पर आवश्यक निबंधन प्रपत्र उपलब्ध है। निबंधन से उन्हें User id तथा Password मिलेगा। संवेदकों को DSC (Digital Signature Certificate With Encryption) प्राप्त करना होगा। User id, Password, DSC इन्टरनेट के उपयोग से ही संवेदक ई–निविदा में भाग ले सकेंगे।

15. निविदा कागजात भरकर बेवसाईट पर ही जमा (अपलोड) किया जा सकेगा। निविदा खुलने कि जानकारी बेवसाईट से ही प्राप्त होगी। निविदा संबंधित किसी भी प्रकार का शुद्धि पत्र बेवसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा।

16. बीड प्रोसेसिंग फीस+सर्विस टैक्स (अप्रत्यर्पणीय) का भुगतान संवेदक अनिवार्य रूप से ऑनलाईन विधि यथा Internet Payment Gateway(Credit Cards) अथवा NEFT/RTGS/CHALLAN के माध्यम से B.S.E.D.C. के Bid-Processing Fee Account में Credit करेंगे। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा।

17. निविदा कागजात का मूल्य की राशि का भुगतान संवेदकों को Eproc2.0 Portal पर Online Mode में जमा करना अनिवार्य है। किये गये भुगतान से सबंधित कागजात की Scanned Copy साक्ष्य के तौर पर निविदा कागजातों के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

18. (क) मात्र ऑनलाइन विधि से समर्पित EMD (अग्रधन की राशि) ही स्वीकार किये जाऐंगें। यदि किसी निविदाकार द्वारा भौतिक रूप से EMD जमा किया जाता है तो मात्र BG (Bank Guarantee) हीं स्वीकार किया जाएगा। बैंक गारंटी जिला अभियंता, जिला परिषद् बेगूसराय के नाम से प्रतिज्ञित होना चाहिए एवं उसकी बैधता निविदा प्राप्ति की तिथि से कम से कम 180 दिन होना चाहिए। संवेदक को निविदा कागजात तथा BG भौतिक रूप से सम्बंधित कार्यालय में जमा करना होगा। BG का Online Verification किया जायेगा।

(ख) बिहार राज्य के बाहर अवस्थित Bank से निर्गत BG को कार्य आवंटन के पश्चात एकरारनामा के पूर्व अनिवार्य रूप से बिहार राज्य अवस्थित भारतीय Scheduled Bank / भारतीय राष्ट्रीय बैंक से निर्गत कराकर जमा करना होगा। अग्रधन के रूप में उक्त वर्णित Bank Guarantee निविदा निर्गत के बाद के तिथि से निर्गत होना चाहिए।

(ग) अग्रधन के राशि हेतु BG की मूल प्रति जिला अभियंता, जिला परिषद्, बेगूसराय के कार्यालय में निर्धारित अवधि तक जमा करना अनिवार्य होगा।

(घ) "Bids along with necessary online payment must be submitted through e-Procurement Portal- www.eproc2.bihar.gov.in before the date and time specified in the NIT. The Department/Office doesnot take any responsibility for the delay/non submission of tender/non reconciliation of online payment caused due to non availability of Internet connection, Network traffic/Holidays or any other reason."

19. निविदा डालने के समय सभी प्रमाण–पत्रों की स्व0–हस्ताक्षरित प्रति निविदा कागजातों के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
20. बिना कारण बताये निविदा को अस्वीकृत करने/रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी/सक्षम पदाधिकारी को सुरक्षित है।
21. वैसे संवेदक निविदा में भाग लेने से वंचित होंगे जो किसी भी विभाग से Debar/ Black Listed हैं।
22. संवेदकों का कार्य स्थल, प्राक्कलन, क्वैरी स्थल एवं सामग्री स्थल इत्यादि की स्थिति सामग्रियों की उपलब्धता की स्थिति से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा में भाग लेने का परामर्श दिया जाता है। इस संबंध में बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
23. पथ निर्माण विभाग, बिहार के अधिसूचना संख्या 447 (S)-सह–पठित ज्ञापांक संख्या 448(S) दिनांक 16.01.2020 एवं भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना का पत्रांक 566 (भ) दिनांक 17.01.2020 में निहित शर्ते इस निविदा में प्रभावी होगी।
24. कुल प्राक्कलित राशि में वास्तविक खर्च का एक प्रतिशत निर्माण श्रमिकों के लिए सेस के रूप में बिल भुगतान के समय काट लिया जायेगा।
25. डिफेक्ट लाईबिलिटी पीरियड तीन वर्षो की होगी। यह अवधि भवन हस्तांतरित होने की तिथि से लागू होगा।
26. निविदित राशि का 10% बैंक क्रेडिट फैसिलिटी अनिवार्य होगा।
27. सक्षम पदाधिकारी से दर अनुमोदित होने के 14 दिनों अंदर एकरारनामा करना अनिवार्य होगा।
28. आवंटन उपलब्ध होने पर ही भुगतान किया जायेगा। इसमें संवेदक का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
29. प्राक्कलित राशि घट बढ़ सकती है, उसी के अनुरूप अग्रधन देय होगा।
30. निविदा के तकनिकी बीड में निम्नाकित कागजात संलग्न करना अनिवार्य होगा :–
   - ✓ अग्रधन की राशि
   - ✓ वैध निबंधन प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।
   - ✓ साझेदार फर्म/कम्पनी के मामलें में डीड एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन की छायाप्रति।
   - ✓ पैन कार्ड की छायाप्रति।
   - ✓ आचरण प्रमाण–पत्र पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत।
   - ✓ GST निबंधन प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।
   - ✓ निविदित राशि का 10% बैंक क्रेडिट फैसिलिटी।
   - ✓ अन्य सभी कागजात SBD के अनुसार।

31. घोषणा प्रमाण–पत्र (मूल में) का शपथ पत्र निम्न प्रारूप में देना अनिवार्य होगा :–

मैं अधोहस्ताक्षरी (साफ–साफ बड़े अक्षरों में नाम) .... सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री .... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि–

(क) मेरे/हमारे विरूद्ध किसी प्रकार का अपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

(ख) मुझे/हमें किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा Debar, Blacklisted एवं विगत वित्तीय वर्ष के अन्दर विखंडित (Rescind) नहीं किया गया है।

(ग)मेरा/हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्राय है पति/पत्नी, माता, पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमंडल के कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी/लेखापाल के रूप में कार्यरत नहीं है।

(घ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण–पत्र, कागजात विवरणी जाली एवं गलत नहीं है।

32. संवेदक के पास डिजाईन मिक्स मशीन, नोजल भाईब्रेटर, सेन्टरिंग प्लेट, वाटर टैंकर आदि स्वयं का होना चाहिए। अथवा किराये पर लेने की स्थिति में संवेदक एवं स्वामी दोनों को लेन देन का मूल शपथ पत्र एवं स्वामित्व प्रमाण–पत्र देना होगा। साथ ही उपकरण का स्वामित्व का कागजात भी संलग्न करना होगा। अन्यथा निविदा अमान्य कर दिया जायेगा। उक्त यंत्र संयत्र का भौतिक सत्यापन सहायक अभियंता/जिला अभियंता, जिला परिषद बेगूसराय के द्वारा किया जायेगा। इसका प्रतिवेदन जिला अभियंता, जिला परिषद, बेगूसराय के द्वारा तकनीकी बीड के साथ समर्पित किया जाएगा। भौतिक सत्यापन निविदा के अनुसार नहीं होगा, तो उनकी निविदा अमान्य कर दी जाएगी।

33. उपर्युक्त कंडिका–31 के क, ख, ग में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा कंडिका घ मे से कोई अभिलेख असत्य, नकली, जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा अग्रधन की राशि जब्त कर लिया जाएगा तथा उनके ऊपर विधि सम्मत दण्ड यथा– संवेदक के निबंधन को काली सूची में दर्ज करने एवं प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगे। संवेदकों को ठेकेदारी निबंधन नियामवली–2007 के तहत काली सूची/दिवार (Debar) तथा निलंबन इत्यादि किया जा सकता है।

34. **प्रतिशत दर निविदा**

(क) कार्य के परिमाण विपत्र की राशि से प्रतिशत के रूप में अधिक, बराबर या कम दर (अंक एवं शब्दों में) अंकित किया जाए। अंक एवं शब्दों में अंकित दर में अंतर आने पर उस संवेदक का निविदा अमान्य कर दिया जा सकता है। प्ररिमाण विपत्र की राशि से 10 प्रतिशत से अधिक निम्न दर वाली निविदा को अमान्य कर दिया जाएगा।

(ख) असाधरण असंतुलित दर (Serious Unbalanced Rate) उद्धत करने पर अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–3376 (E) दिनांक–17.08.2010 के एकरारनामा के समय अतिरिक्त Performance गारंटी (Additional Performance Guarantee) देना होगा।

35. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

36. **निविदा निष्पादन**

(1) यदि निविदा की कंडिका संख्या–30 के अनुसार कोई भी कागजात नहीं रहेगा या अधूरा रहेगा तो उसके निविदा को अमान्य कर दिया जाएगा।

(2) सफल न्यूनतम दर दाता संवेदक की निविदा आवश्यकतानुसार दर वार्ता के उपरांत स्वीकार की जाएगी।

(3) निविदा में सफल एकाधिक संवेदकों से उद्धत दर समान होने पर लॉटरी (ड्रा ऑफ लॉट) के आधार पर चयनित संवेदक के साथ ही यदि आवश्यकता हुई तो दर प्रकमण (दर वार्ता) किया जायेगा एवं नियमानुसार कार्य आंवटित किया जायेगा।

37. **एकरारनामा**– निविदा में सफल संवेदक को कार्य आवंटन की तिथि से 14 दिनों के अंदर लोक निर्माण विभाग के SBD पर एकरारनामा कर कार्य प्रारंभ करना होगा।

38. **अन्य शर्ते**

(क) निविदा के निर्धारित अवधि के अंतर्गत ही कार्य को पूरा करना होगा। विशेष परिस्थिति को छोड़कर अवधि विस्तार की स्वीकृति नहीं दी जायेगी। कार्य पूर्ण करने में अनावश्यक विलम्ब पर भुगतान में अनुमान्य कटौती की जायेगी।

(ख) प्राक्कलित राशि घट–बढ़ सकती है तथा कार्य स्थल के अनुसार निरूपण में परिवर्तन किया जा सकता है।

(ग) यह निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र के साथ निर्गत विशेष शर्त भी एकरारनामा का अंग होगा।

39. E-Tendering में कार्यालय द्वारा Download करने में संलग्न अभिलेख यदि अपठनीय पाया जायेगा तो निविदा अमान्य किया जा सकता है।

40. (क) संवेदक सभी मूल कागजातों को स्कैन कर अपलोड करने के पूर्व सूचीबद्ध करते हुए क्रमबद्ध करेंगे ताकि किसी खास कागजात को क्रमांक संख्या/पृष्ठ संख्या के आधार पर शीघ्र खोजा जा सके। सभी प्रत्येक M.S Office(Compatibility Mode), JPEG, ZIP Format में ही Upload किये जाय। अन्य format में upload document के Download/Open नहीं होने पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।

(ख) संवेदक स्कैन कर Upload किये गये कागजातों की Download Ability Visibility से पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो लेंगे।

41. बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेश के तहत जी0एस0टी0/स्वामित्व/मालिकाना फीस की कटौती किया जायेगा।

42. सभी तरह का शपथ पत्र निविदा निर्गत होने की तिथि के बाद का ही मान्य होगा अन्यथा संवेदक को तकनीकी रूप से अयोग्य कर दिया जायेगा।

43. कार्य की पूर्ण जानकारी के लिए जिला अभियंता जिला परिषद बेगूसराय से किसी कार्य दिवस के कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।

44. यह स्पष्ट है कि निविदा के सभी कागजात Website- eproc2.bihar.gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

45. निविदा प्रपत्र वेबसाइट पर Tenders Section में उपलब्ध है, जिसे सिर्फ वेबसाइट से ही प्राप्त (डाउनलोड) किया जा सकता है।

20/4/2023

जिला अभियंता,

जिला परिषद, बेगूसराय।